

(1)

“रुचि की अभिव्यक्ति”

कार्य का विवरण - शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय,
रायपुर (छ.ग.) में स्थित लैंड स्केपिंग गार्डन के
रखरखाव व संधारण कार्य

प्राचार्य

शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)
जी.ई.रोड, रायपुर पिन-492010

Principal
Govt. Ayurved College
RAIPUR (C.G.)

कार्यालय, प्राचार्य शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

वित्तीय वर्ष 2021-22

लैण्डस्केपिंग गार्डन के रखरखाव, सौन्दर्यीकरण एवं संधारण हेतु रुचि की अभिव्यक्ति (EOI), नियम/ शर्तें/ अर्हता

अर्हता :-

रुचि की अभिव्यक्ति दो अलग-अलग सीलबंद लिफाफे (ए) एवं (बी) को एक अन्य बड़े लिफाफे में रखकर प्रस्तुत किया जावे, जिस पर ‘‘लैण्डस्केपिंग गार्डन के रखरखाव, सौन्दर्यीकरण एवं संधारण हेतु रुचि की अभिव्यक्ति’’ लिखा होना चाहिए। लिफाफा (ए) के ऊपर ‘‘तकनीकी रुचि की अभिव्यक्ति’’ तथा लिफाफा “बी” के ऊपर ‘‘वित्तीय रुचि की अभिव्यक्ति’’ स्पष्ट शब्दों में लिखा होना चाहिए। प्रथम लिफाफा “ए” में सुरक्षानिधि व निम्नलिखित अभिलेख रखा जावे :-

01. छत्तीसगढ़ शासन, भंडार क्य नियमानुसार अनुमानित क्य मूल्य के अनुरूप राशि रूपये 15,000/- सुरक्षा निधि के रूप में भारतीय स्टेट बैंक अथवा अनुसूचित बैंकों के डिमांड ड्रॉफट जो “‘प्राचार्य, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)’” के नाम से देय हो।
02. जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की छायाप्रति अनिवार्यतः संलग्न करें।
03. रुचि की अभिव्यक्तिकार पेन कार्ड धारी हो, जिसका उल्लेख किया जाये एवं स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।
04. परिशिष्ट ‘एक’ तथा ‘दो’ लगाना अनिवार्य होगा। परिशिष्ट ‘एक’ के साथ कार्यालय से प्राप्त 500/- रूपये की रसीद की छायाप्रति/ वेबसाईट से डाउनलोड की स्थिति में राशि रूपये 500/- रूपये (पांच सौ रूपये मात्र) का डिमांड ड्रॉफट की मूलप्रति एवं परिशिष्ट ‘दो’ बाध्यपत्र पचास रूपये के नान ज्यूडिशियल स्ट्रम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा रुचि की अभिव्यक्ति निरस्त कर दी जावेगी।
05. रुचि की अभिव्यक्तिकार को शासकीय कार्यालयों/ पंजीकृत संस्थाओं में लैण्डस्केपिंग गार्डन के रखरखाव, सौन्दर्यीकरण, एवं संधारण करने का कार्यानुभव हो, तो तदाशय का प्रमाण पत्र संलग्न करें।

तकनीकी रुचि की अभिव्यक्ति वाले लिफाफे ‘ए’ को पहले खोला जायेगा, तथा पर्याप्त सुरक्षानिधि एवं अर्हता संबंधी उक्त सभी प्रमाणित प्रमाण पत्र होने पर ही द्वितीय लिफाफे “बी” अर्थात् वित्तीय रुचि की अभिव्यक्ति को आगामी कार्य दिवस में खोला जायेगा, अन्यथा रुचि की अभिव्यक्ति निरस्त कर दी जावेगी। द्वितीय लिफाफा “बी” के ऊपर ‘‘वित्तीय रुचि की अभिव्यक्ति’’ लिखा होना चाहिए एवं इसमें रुचि की अभिव्यक्ति फार्म परिशिष्ट तीन में जानकारी देना होगा।

शर्तें :-

01. लघि की अभिव्यक्ति रजिस्टर्ड पोस्ट (ए.डी.) अथवा स्पीड पोस्ट अथवा पी.एंड.टी विभाग से अधिकृत कोरियर के द्वारा प्राप्त की जावेगी अथवा कार्यालय में जमा किया जा सकता है।
02. लघि की अभिव्यक्ति दो लिफाफा पद्धति से पंजीकृत डाक/ स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्रस्तुत किया जावेगा। लिफाफा “ए” में सुरक्षानिधि तथा अहता संबंधी प्रमाण पत्र न होने की स्थिति में वित्तीय ऑफर लिफाफा “बी” नहीं खोला जावेगा एवं लघि की अभिव्यक्ति निरस्त की जावेगी।
03. जो भी लघि की अभिव्यक्ति निर्धारित अंतिम तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होंगी, वह नहीं खोली जाएगी तथा वापस लौटा दी जाएगी। लघि की अभिव्यक्ति वापस करते समय लघि की अभिव्यक्ति के बन्द लिफाफे पर लघि की अभिव्यक्ति लौटाने की तिथि व समय अंकित किया जाएगा।
04. लघि की अभिव्यक्ति के आवेदन हेतु इच्छुक अनुभवी व्यक्ति/ संस्था कार्यालयीन समय में राशि 500/- रुपये (पांच सौ रुपये मात्र) जमा कर विस्तृत नियम शर्तें व लघि की अभिव्यक्ति (E.O.I.) प्रारूप प्राप्त कर सकते हैं अथवा महाविद्यालय के वेबसाईट www.gacraipurcg.in से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाईट से डाउनलोड करने की स्थिति में राशि रुपये 500/- रुपये (पांच सौ रुपये मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट जो कि प्राचार्य, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) के पक्ष में देय होगा जमा करना होगा।
05. लघि की अभिव्यक्ति के साथ राशि रुपये 15,000/- की अमानत राशि का भारतीय स्टेट बैंक अथवा अनुसूचित बैंक D.D. (Demand Draft) जो कि प्राचार्य, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.) के पक्ष में देय होगा जमा करना होगा।
06. उक्त उल्लेखित उद्यान के रखरखाव एवं सौन्दर्यीकरण की अवधि कायदिश से 12 माह के लिए होगी।
07. लघि की अभिव्यक्तिकार/ एजेन्सी को गार्डन में रोपित लॉन एवं पेड़ पौधों की नियमित कटाई एवं छटाई, साफ-सफाई, सम्पूर्ण गार्डन में नियमित दीमकरोधी उपचार, गार्डन में मौसमी फूलों (Seasonal Flowers), सुर्गादि एवं सजावटी पौधों का रोपण, गार्डन के लॉन (घास) एवं पेड़ पौधों को हरे-भरे एवं स्वस्थ रखने हेतु नियमित खाद डालना तथा कीटनाशकों का छिकाव, गार्डन के लॉन (घास) एवं पेड़

- पौधों में आवश्यकतानुसार पानी का छिकाव करना होगा। जिनमें होने वाले समस्त सामग्री व श्रम व्यवस्था प्रस्तुतकर्ता रुचि की अभिव्यक्तिकार की होगी।
08. 18 वर्ष से कम आयु के कामगार काम पर नहीं रखे जावेंगे एवं श्रम निमय का पालन करना अनिवार्य है।
 09. रुचि की अभिव्यक्तिकार/ एजेंसी को गार्डन को सुसज्जित रखने के लिए सजावटी शिल्प, संगमरमर पत्थर एवं अन्य सजावटी वस्तुओं तथा प्रकाश व्यवस्था (Lighting), लैण्ड स्कोर्पिंग गार्डन के पैरापेट वाल की पेंटिंग, गार्डन के पेइ-पौधों एवं फूलों की सुरक्षा हेतु आवश्यक प्रबंधन सुनिश्चित करना होगा।
 10. संबंधित रुचि की अभिव्यक्तिकार/ एजेंसी को वार्षिक रखरखाव के लिए जरूरी समस्त कृषि उपकरणों, सिंचाई उपकरणों, पेइ-पौधों, खाद (उर्वरक), मिट्टी, गमलों, कीटनाशकों सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता स्वयं को सुनिश्चित करनी होगी।
 11. उद्यानों के पेइ पौधों में पानी डालने की जवाबदारी रुचि की अभिव्यक्तिकार की होगी। महाविद्यालय एवं चिकित्सालय में उपलब्धता की स्थिति में पानी संस्था द्वारा प्रदाय किया जावेगा। किन्तु ग्रीष्म काल में ट्रैक्टर/ टैकरों से पानी परिवहन कर डाला जाना होगा, जिसका पृथक से किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जावेगा।
 12. अनुबंध अनुसार कार्य न करने पर अनुबंध 15 दिवस की नोटिस पर समाप्त कर धरोहर राशि राजसात की जावेगी।
 13. उद्यानों के रखरखाव, सौन्दर्यकरण व संधारण में संलग्न किये जाने वाले कर्मचारी/ श्रमिकों को परिचय पत्र व वर्दी (Uniform) प्रदान करना होगा।
 14. रुचि की अभिव्यक्तिकार की प्रस्तुत व स्वीकृत दर वार्षिक (12 माह) के लिए होगी। उक्त दर को 12 माहों में समानुपात में विभाजित कर कार्य संतोषप्रद होने की स्थिति में प्रतिमाह का भुगतान किया जावेगा जिसमें नियमानुसार आयकर, श्रम कल्याण उपकर व 10% सुरक्षा निधि कठौती की जावेगी। जो कि अनुबंध अवधि समाप्ति उपरांत वापस किया जावेगा।
 15. सशर्त रुचि की अभिव्यक्ति स्वीकार नहीं की जावेगी।
 16. समयावधि में वृद्धि अथवा कमी की जा सकती है।
 17. प्राचार्य, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर छ.ग. के पास किसी भी रुचि की अभिव्यक्ति को स्वीकृत करने अथवा समस्त निविदाओं को अपने विवेक से बिना निविदाकर्ताओं को कारण बताये निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

लिफाफा “ए” हेतु
परिशिष्ट “एक”

प्रति,

प्राचार्य,
शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- लैण्डस्केपिंग गार्डन के रखरखाव, सौन्दर्यकरण एवं संधारण हेतु वर्ष 2021-22 के
लिए रुचि की अभिव्यक्ति।

महोदय,

मैंने/ हमने ठेके (रुचि की अभिव्यक्ति) की पूर्ति से संबंधित नियमावली के समस्त
नियम पढ़ लिये हैं। मैं/ हम प्रमाणित करता हूँ करते हैं कि मुझे/ हमें रुचि की अभिव्यक्ति
की समस्त नियम/ शर्तें मान्य हैं व निविदा उन्हीं शर्तों को स्वीकार करते हुए भरी हैं।

स्थान :

दिनांक :

.....
रुचि की अभिव्यक्ति भरने वाले के हस्ताक्षर
नाम -

पूरा पता -

.....

.....

मोबाइल नं. :-

TIN No.-.....

Egraph
PTU
Govt. Ayurved College
RAIPUR (C.G.)

लिफाफा “ए” हेतु
परिशिष्ट “दो”

(पचास रूपये के नाम ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

बाध्य पत्र

मैंने/हमने लैण्डस्केपिंग गार्डन के रखरखाव, सौन्दर्यीकरण एवं संधारण हेतु वर्ष 2021-22 के लिए रुचि की अभिव्यक्ति दिये नियमों/शर्तों को स्वीकार करते हुए भरी है। इस संबंध में मैं/हम इकरार करते हैं कि भरी गई रुचि की अभिव्यक्ति के स्वीकार किये जाने पर निवादा नियमों/शर्तों के अनुसार मैं/हम लैण्डस्केपिंग गार्डन के रखरखाव, सौन्दर्यीकरण एवं संधारण हेतु बाध्य हूँ है।

मैं/हम घोषित करता हूँ करते हैं कि मेरे/ हमारे द्वारा दी गई रुचि की अभिव्यक्ति इस बाध्य पत्र का अंश समझी जावेगी।

स्थान :

दिनांक :

रुचि की अभिव्यक्ति भरने वाले के हस्ताक्षर

नाम -

पूरा पता -

.....

.....

मोबाइल नं. :-

TIN No.-.....

गवाहों के हस्ताक्षर

1. हस्ताक्षर :-

नाम :-

पता :-

मोबा. नं.: -

2. हस्ताक्षर :-

नाम :-

पता :-

मोबा. नं.: -

(७)

लिफाफा “बी” हेतु
परिशिष्ट “तीन”

प्रति,

प्राचार्य,
शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय
रायपुर, (छ.ग.)

क्रमांक	स्थल का विवरण	वार्षिक दरें	
		(समस्त कर सहित) अंको में	शब्दों में
1.	शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, रायपुर (छ.ग.) भवन के समक्ष लैंडस्केपिंग गार्डन।		

रुचि की अभिव्यक्ति भरने वाले के हस्ताक्षर
नाम
पूरा पता
.....
.....
मोबाइल नं.
TIN No.

G. Singh
Principal
Govt. Ayurved College
RAIPUR (C.G.)